आवश्यक

संख्या-129/2021/3206/26-3-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषयः प्रदेश के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में अनुसूचित जनजाति व शेष 62 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-36 पर गोंड जाति सूचीबद्ध है, जबकि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक-6 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में सूचीबद्ध है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ही अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को समस्त संवैधानिक सुविधायें प्राप्त हैं।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि प्रायः राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों (लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर स्वैच्छिक तरीके से अकारण तर्कहीन/आधारहीन तथा मनगढ़ंत रिपोर्ट यथा वर्ष-1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के दस्तावेज को मांगना, कैमूर रेंज की पहाड़ियों से विस्थापित हो कर नहीं आए है, जाति सही नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अथवा साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इनके साथ छुआ-छूत का भेदभाव नहीं किया जाता है, ऊंच-नीच, भाषा-बोली, रहन-सहन, खान-पान, वर्तनी/अनुस्वार विभेद, जीविकोपार्जन के परम्परागत पेशे को आधार बनाकर, भूमिहीन गोंड जाति के व्यक्तियों से भू-राजस्व अभिलेख 1324 व 1354 व 1356 व 1359 फसली में नाम दर्ज न होने आदि का उल्लेख करते हुए उनके आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जा रहा है। साथ ही उक्त के आधार पर पूर्व में निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्रों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है और न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं नजीरो का संज्ञान लिया जा रहा है, जिससे वे नियमानुसार अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुविधा से वंचित रह जाते है।

3- साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं/नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा गोंड अनुसूचित जनजाति/ अनु0जाति के व्यक्तियों से 06 माह के अन्दर बने जाति प्रमाण-पत्र की मांग की जा रही है। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व में ही शासनादेश संख्या-62वीआईपी/26-3-2019 दिनांक 01.07.2019 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट किया जा चुका है, जिसमें[1] यह विदित है कि 06 माह के अन्दर बने जाति प्रमाण-पत्र की मांग कदापि न की जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जाति जन्मजात होती है, जो आजीवन बदलती नहीं है। पूर्व में जारी ऑनलाईन निर्गत प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु पोर्टल पर उपलब्ध है। अतएव नए सिरे से 06 माह के अन्दर की अवधि का जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है।

4- अतएव उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड को कतिपय 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) में अनुसूचित जनजाति एवं गोंड जाति को शेष अन्य 62 जनपदों में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय आवेदनकर्ता द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत प्रमाणित भू-राजस्व अभिलेखों यथा 1323 या 1324 या 1354 या 1356 या 1359 में से किसी एक फसली में गोंड अंकित हो, की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकार्ड से किये जाने के पश्चात् सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की हीला-हवाली न की जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा मंे उनके कुटुम्ब/परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालय की टी.सी. व जांच हेतु अपनाई जा रही प्रचलित प्रक्रिया के साथ-साथ नजदीकी गोंड परिवार से भी जांच-पड़ताल कर नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करें। साथ ही वर्ष-1950 अथवा उसके पूर्व के दस्तावेजों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का आधार न बनाया जाए। यदि आवश्यक हो तो आवेदक से उसकी जाति का शपथ-पत्र प्राप्त कर अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

5- साथ ही जो आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य पाया जाए उसे शासनादेश के अनुरूप न पाये जाने का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अस्वीकृत किया जाए। परन्तु आवेदन-पत्रों को बिना जांच पड़ताल किये जाति प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु वर्ष-1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के दस्तावजे, कैमूर रेंज की पहाडियों से विस्थापित होकर नहीं आए है, जाति सही नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अथवा साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इनके साथ छुआ-छूत का व्यवहार नहीं किया जाता है, ऊंच-नीच, भाषा-बोली, रहन-सहन, खॉन-पान तथा जीविकोपार्जन के परम्परागत पेशे को आधार न बनाया जाए। इसी प्रकार जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन में भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं नजीरो को शासनादेश के अनुरूप न मानने के सम्बन्ध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाए।

6- उक्त के अतिरिक्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की समय-सीमा निर्धारित करते हुए शासनादेशों का उल्लंघन कर आवेदन-पत्रों को बिना कोई ठोस कारण से निरस्त करने वाले राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों (लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार) के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7- यदि किसी भी स्तर पर गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो शासन द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय समिति (जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करें, उसे निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जनपद स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी, मण्डल स्तर पर उपनिदेशक द्वारा समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-129/2021/3206(1)/26-3-2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को अपने स्तर से अपेक्षित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in